

राजस्थानसरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 372

दिनांक :-30/06/2017

आदेश संख्या : 86/2017-18

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा 2013 में सफल घोषित एवं आयोग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (कनिष्ठ लेखाकार) के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय नियत पारिश्रमिक पर पूर्णतया अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्तियां पूर्णतया अस्थाई (Temporary) आधार पर रहेगी व नियुक्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार पद पर स्थाईकरण का अधिकारी नहीं होगा। विशेष पिछड़ा वर्ग की उक्त नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन सिविल अपील संख्या 1464-1466/2017 के अन्तिम निर्णय के अध्वधीन होगी। प्रत्येक नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे निम्नांकित तालिका में उनके समक्ष अंकित विभाग/कार्यालय में दिनांक 14/07/2017 तक कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से इस विभाग को Email - jacct.dta@rajasthan.gov.in पर आवश्यक रूप से सूचित करें।

क्र.स. (1)	नाम (सर्वश्री/कुमारी) पिता का नाम रोलन. -	जन्म तिथि (3)	पदस्थापन कार्यालय (4)	अभ्यर्थी का फोटो (5)
1.	पारस मल गाडरी श्री नन्द राम गाडरी 472449	18.06.1992	अधीक्षण अभियन्ता परियोजना खण्ड, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, आसिन्द भीलवाडा, 32160	
2.	नन्द लाल गुर्जर श्री श्योजी लाल गुर्जर 816967	03.06.1992	अधीक्षण अभियन्ता परियोजना खण्ड-II, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सूरजपुरा, टोंक 32167	
3.	अशोक कुमार श्री महावीर सिंह 808572	06.10.1987	ब्लॉक संदर्भ केन्द्र, एसएसए, निम्बाहेडा, चित्तोडगढ 1000240	
4.	दीपक सिंह गुर्जर श्री भंवर सिंह 512271	04.06.1989	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांखू, चूरू 22806	
5.	हिम्मत सिंह गुर्जर श्री जानसिंह गुर्जर 873998	05.06.1994	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बांरा, 20203	
6.	हरिओम गोचर राधेश्याम गोचर 622739	05.11.1991	वित्तीय सलाहकार, सीएडी एवं एडीपी विभाग, कोटा 24633	
7.	बुद्धिप्रकाश गुर्जर श्री जगदीश गुर्जर 707168	01.06.1993	कमाण्डिंग आफिसर, 1 राज बटालियन एनसीसी, जयपुर 852	

8.	रोहिताश्व गुर्जर श्री गोपीराम गुर्जर 814251	04.02.1992	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नाथद्वारा, राजसमंद 20394	
9.	राजेश गुर्जर श्री रामकरण गुर्जर 882418	07.08.1989	अतिरिक्त निदेशक (बी.पी.लैब) , पशुपालन विभाग, जयपुर 24	
10.	ओमप्रकाश गुर्जर श्री गिरधारी गुर्जर 409820	17.12.1992	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीसांगन, अजमेर 20642	
11.	प्रवीण सिंह गुर्जर श्री बनेसिंह गुर्जर 877879	26.01.1989	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(रिल्वे), जयपुर 8019	
12.	नेतराम गुर्जर श्री तेजराम गुर्जर 876981	25.04.1991	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण खण्ड द्वितीय, (एनसीआर) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर 32124	
13.	सुरेश गुर्जर श्री घासीराम गुर्जर 826804	12.12.1989	उपकोषाधिकारी, स्वतंत्र उपकोष, पुष्कर, अजमेर 31617	
14.	योगेन्द्र श्री हरि गुर्जर 614357	05.04.1990	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेडा, धौलपुर 22913	
15.	धर्मराज गुर्जर श्री राम पूजन गुर्जर 530952	03.08.1994	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानिया, धौलपुर 22917	
16.	मुनीम कुमार गुर्जर श्री रामचरण गुर्जर 833196	10.07.1994	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बारां, 20343	
17.	मनीष गुर्जर श्री भंवर लाल गुर्जर 866746	10.01.1992	उपकोषाधिकारी, उपकोष रायपुर(स्वतंत्र), जिला भीलवाडा 20551	
18.	देशराज गुर्जर श्री कन्हेया लाल गुर्जर 902488	25.10.1982	निदेशक, मोबाईल सर्जिकल यूनिट, जयपुर 1810	
19.	प्रमोद कुमार गुर्जर श्री गिलाडी राम गुर्जर 891958	01.07.1983	उपकोषाधिकारी, उपकोष पुष्कर(स्वतंत्र), जिला अजमेर 31617	

✓

20.	रामदुलारी श्री सुखराम 523704	05.07.1986	कोषाधिकारी, कोष कार्यालय दौसा 1103	
21.	अनुपमा श्री राजेन्द्र प्रसाद 580932	17.01.1992	प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान एस सी. / एसटी वित्त एवं विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, झुंझुनू 1000444	
22.	निकिता सिंह चावडा श्री रविन्द्र कुमार चावडा 724287	07.04.1994	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक विभाग, उदयपुर 22368	
23.	ज्योति श्री छोटलाल 620048	10.01.1992	जिला कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, बून्दी, 1100	
24.	सुनिता गुर्जर श्री हेतराम गुर्जर 518233	01.03.1994	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, दौसा 1000255	

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकारों के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा रही है:-

- 1 उक्त अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश भी इन परिबीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) वित्त/ नियम /06 दिनांक 13.03.2006 एवं F.14(1)FD/RULES/2013PT दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। राज्य सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
- 2 राज्य सरकार के परिपत्र पं.13 (1)वित्त/नियम /2003 दिनांक 28.01.2004, 27.03.2004 एवं 13.03.2006 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाभ देय होंगे। राज्य सेवा में दिनांक 01.01.2004 से अथवा इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
- 3 यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही है। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 4 कार्यग्रहण करते समय अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथपत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल ई - स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
- 5 उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर अंकित की गई है। दो वर्ष की परिबीक्षा प्रशिक्षण अवधि सन्तोष जनक पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना एफ 14(1)वित्त/नियम/2013-11 दिनांक 28.06.2013 के तहत कनिष्ठ लेखाकार की वेतन श्रृंखला पे-बैंड (2) 9300-34800 ग्रेड-पे 3600 एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जावेगा। परिबीक्षा काल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्तें देय नहीं होंगे।
- 6 यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अधीन है।
- 7 अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

9

- 8 अभ्यर्थियों को परीक्षा काल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा काल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 9 राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग- I में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवाग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
- 10 यदि सरकार की राय में इनका कार्ययाचरण परीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इन में एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- 11 उक्त नियुक्तियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सिविल अपील संख्या 1464-66/2017 कैप्टन गुरुबिन्दर सिंह व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय के अधीन रहेगी एवं एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8695/2017 दिपेन्द्र सांवल व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 तथा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 8890/2017 हेमन्त कुमार खान्डाल बनाम आर.पी.एस.सी. व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.06.2017 तथा उक्त पदों एवं इस परीक्षा के संबंध में माननीय न्यायालयों में लम्बित विभिन्न याचिकाओं के निर्णयाधीन रहेगी।
- 12 यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियाँ एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा। अभ्यर्थी विहित प्रारूप में इस आशय का एकबन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।
- 13 उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में निश्चित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 377

दिनांक 30.06.2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से बिन्दु संख्या 7 में अंकित संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे।
5. संबंधित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री / श्रीमती / सुश्री को पालनार्थ।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा।
8. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
9. रक्षित/निजीपत्रावली।

प्रदीप माथुर
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र/पुत्री श्री सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

- 1 मेरा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 में चयन हुआ है। तथा मेरा मेरिट क्रमांक है।
- 2 मैं सत्यापित करता /करती हूँ कि मेरा चरित्र उत्तम है और मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय से दोष सिद्ध अपराध नहीं है और न ही कोई अपराधिक प्रमाण किसी न्यायालय में लम्बित है/पुलिस में अनुसंधानरत् नहीं है।
- 3 यदि उक्त सूचनाएँ किसी तरह से पुलिस सत्यापन में असत्य एवं झूठी पायी जावे तो प्रार्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति बिना शर्त/नोटिस के निरस्त की जा सकेगी। तथा असत्य तथ्य प्रस्तुत करने के लिये विभाग भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

नाम

सत्यापन

मैं उक्त शपथग्रहिता प्रमाणित करता हूँ कि उक्त मद संख्या 1 से 3 के तथ्य मेरे निजी जानकारी के अनुसार सही एवं प्रमाणित है।

शपथग्रहिता